

## 10 वित्त (लेखा) अनुभाग 1

- 1 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग 1 व 2 से संबंधित समस्त कार्य (संशोधन तथा आख्या सहित )
- 2 ट्रेजरी मैनुअल और सब ट्रेजरी मैनुअल में संशोधन
- 3 आपात व्यवस्था सीमान्त
- 4 बीमा कम्पनियों और अनुसूचित बैंको का फाइडेलिटी बोर्ड हेतु अनुमोदन
- 5 राष्ट्रीय सुरक्षा कोष
- 6 वैयक्तिक लेखा खाता खोलने आदि से संबंधित कार्य
- 7 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड -5भाग-1 व 2 से संबंधित भारत सरकार की निम्न पुस्तकों के संशोधन (1) सी0टी0आर0खण्ड-1व2(2) जी0एफ0आर0आदि
- 8 अग्रिम स्वीकृत के मामले
- 9 कोषागार उप कोषागार में करेन्सी चेस्ट की स्थापना चेस्ट सीमा बढ़ाना
- 10 सरकारी लेन देन के कार्य का भारतीय स्टेट बैंक राष्ट्रीय कृत बैंको को हस्तान्तरण तथा भारतीय स्टेट बैंको की हडताल
- 11 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको के माध्यम से पेंशन भुगतान की योजना
- 12 अनिवर्य जमा योजना
- 13 रिजर्व बैंक द्वारा बताई गयी कोषागार उपकोषागारों की अनियमिततायें
- 14 कोषागार /उपकोषागारों पर महालेखाकार का वार्षिक प्रतिवेदन
- 15 स्पेशल आडिट
- 16 लोकल आडिट स्केटन प्रोग्राम
- 17 सरकारी संपत्ति का बीमा एवं आयुक्त जोखिम बीमा
- 18 भारतीय जीवन बीमा निगम की वेतन बचत योजना
- 19 आयकर की स्रोत पर कटौती
- 20 रिजर्व बैंक द्वारा बताई गयी कोषागार उपकोषागारों की अनियमिततायें
- 21 कोषागार /उपकोषागारों पर महालेखाकार का वार्षिक प्रतिवेदन
- 22 स्पेशल आडिट
- 23 सैनिक प्रेंशन भुगतान केन्द्रों के स्थापना

## 10-वित्त (लेखा) अनुभाग -2

- 1 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-6 संशोधन तथा नियमों की आख्या
- 2 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-7 संशोधन तथा नियमों की आख्या
- 3 बैंको गारण्टी स्कीम
- 4 भारत सरकार के एकाउन्ट कोड खण्ड-1 से 4 में संशोधन
- 5 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन
- 6 वित्तीय प्रतिनिधानों के संशोधन तथा उनकी आखू
- 7 राशनालाइजेशन आफ कान्ट्रेक्ट एण्ड लम्न कान्ट्रेक्ट
- 8 वित्तीय मामलों हेतु विभागाध्यक्ष घोषित करना
- 9 खण्डीय लेखाकार संबंधी मामले
- 10 आन्तरिक वित्तीय परामर्शदाता योजना संबंधी मामले

- 11 विनियोजन नियंत्रण सा०नि०वि० सिचाई विभाग वन विभाग तथा शिक्षा विभाग के लिए साख पत्र सीमा बंटन कार्य
- 12 लखनउ बरेली फैजाबाद आजमगढ कानपुर चित्रकूटधाम देवीपाटन बस्ती मिर्जापुर मुरादाबाद सहारनपुर इलाहाबाद झासी गोरखपुर वाराणसी मेरठ तथा आगरा मण्डलों में खाद्यान्नों के सचरण संचयन तथा सफाई के दौरान पाई जाने वाली हानियों को बट्टे खाते में डाला जाना
- 13 गबन दुर्विनियोग तथा अन्य कारणों से शासन को हुई सार्वजानिक धन भंडार एवं अन्य सम्पत्ति की हानियों को छोडकार का बट्टे खाते में डाला जाना
- 14 शासकीय बकायों की वसूलियों को छोडा जाना
- 15 जालसाजी आदि कारणों से फर्जी बिलों पर बैको द्वाराकिये गये भुगतानों के संबंध में बैंक का उत्तरदायित्व निर्धारित करना एवं हानि की वसूली करना
- 16 खाद्यान्नों से संबंधित लेखे (क)भारत सरकार द्वारा भेजे गये खाद्यान्नों के संबंध में उठाये गये नामे का समायोजन ।(ख)गलत उठाये गये नामे के पत्रव्यवहार ।(ग)अन्य सम्पूर्ति योजना के अन्तर्गत लाभ हानि लेखे तथा संतुलन का विवरण का परीक्षण ।
- 17 शासकीय हानियों की रोकथाम
- 18 वित्त आडिट प्रकोष्ठ।

### 10-वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग

- 1 सहकारी तथा पंचायत लेखा सम्परीक्षा संगठन (1)राजपत्रित अधिकारियों तथा अराजपत्रित कर्मचारियों का अधिष्ठान तथा बजट ।(2)सहकारी समितियों तथा पंचायतों के लिखे की सम्परीक्षा तथा सम्परीक्षा शुल्क का निर्धारण (3)अधिकारियों को प्रशासनिक अधिकारों का प्रतिनिधायन (4)सम्परीक्षा कार्य क्षेत्र का निर्धारण (5)लोक लेखा समिति तथा वार्षिक विवरण (6)सेवा नियमावलिया (7)सहकारी समितियों एवं पंचायतों के लेखा परीक्षा अधिनियम विचाराधीन ।
- 2 सहकारी तथा पंचायत लेखा सम्परीक्षा संगठन (1)राजपत्रित अधिकारियों तथा अराजपत्रित कर्मचारियों का अधिष्ठान तथा बजट ।(2)सहकारी समितियों तथा पंचायतों के लिखे की सम्परीक्षा तथा सम्परीक्षा शुल्क का निर्धारण (3)अधिकारियों को प्रशासनिक अधिकारों का प्रतिनिधायन (4)सम्परीक्षा कार्य क्षेत्र का निर्धारण (5)लोक लेखा समिति तथा वार्षिक विवरण (6)सेवा नियमावलिया (7)सहकारी समितियों एवं पंचायतों के लेखा परीक्षा अधिनियम विचाराधीन ।
- 3 मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियों द्वारा सम्परीक्षा शुल्क का उद्वरण तथा दरों का निर्धारण ।
- 4 स्थानीय निधि लेखा परीक्षा संगठन (1) राजपत्रित अधिकारियों तथा अराजपत्रित कर्मचारियों का अधिष्ठान तथा बजट (2)अधिकारों का प्रतिनिधायन (3)सेवा नियमावलिया (4)स्थानीय निधि लेखा परीक्षा नियम संग्रह (5)संगठन द्वारा की जाने वाली सम्परीक्षा के लिये शुल्क से मुक्ति (6)लोक लेखा समिति/वार्षिक विवरण
- 5 कोषाध्यक्ष धर्मादा सन्दान चैरिटेबुल इन्डोउमेन्ट ट्रस्ट उ०प्र० अधिष्ठान लेखों के रख-रखाव संबंधी मामले
- 6 प्रदेश में चल रही चिट फंड तथा अन्य लाभकारी योजनाओं पर नियंत्रण ।
- 7 निम्नलिखित अधिनियमों का प्रशासन (1)इंडियन पार्टनरशिप ऐक्ट (2)सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट(3)एन०बी०एफ०सी० ऐक्ट (4)यू०पी०चिट फण्ड ऐक्ट (5)प्राइज चिट्स एण्ड मनी सर्कुलेशन

स्कीम्स बैंकिंग ऐक्ट 1978 (6) चिट फण्ड अधिनियम 1982

लेखाओं की सम्परीक्षा (1) जिला परिषदें नगर पलिकायें टाउन तथा नोटीफाइड एरिया कमेटिया इम्पूवमेंट गाजियाबाद नगर पालिका विद्युत पूर्ति प्रतिष्ठान (2) राजकीय अनुदान प्राप्त डिग्री कालेज इन्टरमीडियट कालेज उच्चतर माध्यमिक स्कूल तथा संस्कृत पाठशालयें। (3) कृषि उत्पादन मंडी समितियों तथा क्षेत्र समितियों (4) ऐसी समस्त संस्थायें जिन्हें शासन द्वारा 10.000 रूपये से अधिक अनावर्तक अनुदान दिया जाता है। (5) विश्वविद्यालयों के लेखों की सम्परीक्षा (6) प्रदेशान्तर्गत स्थापित विकास प्राधिकरण इंजीनियरिंग कालेज तथा पालीटेक्निक विद्यालय आयुर्वेदिक होम्योपैथिक यूनानी मेडिकल कालेज एवं अन्य अशासकीय चैकिट्सिक संस्थायें उत्तर प्रदेश गन्नानिधिया उत्तर प्रदेश राजकीय लाटरी उत्तर प्रदेश वन निगम उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के लेखाओं की सम्परीक्षा।

स्थानीय निकायों/संस्थाओं के लेखों की विशेष सम्परीक्षा तथा उसके लिये अतिरिक्त कर्मचारियों की स्वीकृति

उत्तर प्रदेश लोकल फण्ड आडिट ऐक्ट

सहकारी एवं पंचायत आडिट ऐक्ट

### 10-वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

अनुमान तैयार करना (1) भारत के रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम (2) ऋण कम करना अथवा उसका परिहार (3) राज्य भविष्य निधि (4) लोक लेखे के अन्तर्गत ऋण निक्षेप तथा विप्रेषण (5) अनुभाग से संबंधित ऋण मदों पर व्याज का भुगतान तथा व्याज प्राप्तियों (6) केन्द्रीय करों में राज्य का अंश

निधियों का परामर्श संबंधी कार्य

अर्थोपाय

आय-व्ययक अनुमानों का संकलन/नई मांग

अनुभाग से सम्बन्धित मदों के विषय में आडिट आपत्ति तथा वित्त आयोग के लिये पूर्णानुमान तैयार करना

अनुभाग से संबंधित मदों के विषय में आडिट आपत्ति तथा विनियोग लेखे के लिये स्पष्टीकरण। लेखा वर्गीकरण।

शासकीय व्यय पर प्रभावशाली नियंत्रण।

व्यय वित्त समिति के गठन से संबंधी।

विलिनीकृत रियासतों से सम्बन्धित अंशको पर प्राप्त लाभांश।

बजट अनुमानों से सम्बन्धित विधायी कार्य।

आय-व्ययक साहित्य हेतु (1) राज्य की कुल ऋणग्रस्तता का आंकलन (2) राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋणों की अदत्त शेष का आंकलन (3) रक्षित निधियों के अदत्त शेष का आंकलन (4) ब्याज संबंधी भुगतानों का विश्लेषण (5) ब्याज संबंधी प्राप्तियों का विश्लेषण।

आहारण एवं वितरण अधिकारी नामित किया जाना।

विश्व बैंक से सम्बन्धित कार्य।

### 10-वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2

विदेशी मुद्रा।

व्यय वित्त समिति

3 व्ययाधिक्य से संबंधित आडिट प्रस्तर।  
4 कोषागारों के लिये सामान्य शेष धनराशियों (नार्मल बैलेंस ) का निर्धारण  
5 शासकीय व्यय पर नियंत्रण हेतु सामान्य निर्देश एवं देयकों का कोषागार से भुगतान संबंधी  
समस्त कार्य  
6 विभागीय आंकड़ों का महालेखाकार के कार्यालय में अंकित आँकड़ों से मिलान एवं  
कोषागार/खण्डीय कार्यालयों द्वारा महालेखाकार की लेखों का प्रेषण।  
7 उत्तर प्रदेश राज्य आकस्मिकता निधि ।  
8 अनुपूरक अनुमानों का संकलन एवं विनियोग विधेयक।  
9 नई मांगों की अनुसूची का संकलन ।  
10 अतिरिक्त अनुदानों की मांगों के संकलन एवं विनियोग विधेयक  
11 राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत स्थानीय निकायों को धनराशि का संक्रमण  
12 ग्रामीण अवस्थापना सुविधाओं से संबंधित ऋण आदि के प्रस्तावों को राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण  
विकास बैंक नाबार्ड को प्रेषित करना।  
13 पुनरीक्षित अनुमानों के संबंध में सामान्य निर्देश

### 10-वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3

1 वित्त मंत्री जी का बजट भाषण।  
2 बजट मैनुअल (समस्त कार्य)  
3 पुनर्विनियोग (एक लेखा शीर्षक से दूसरे लेखा शीर्षक में पुनर्विनियोग के मामले ।  
4 बजट परिचय पुस्तिका का मुद्रण ।  
5 अनुकम्पा निधि तथा संबंधित कार्य( सेवाकाल के दौरान मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को  
आर्थिक सहायता)  
6 स्वायत्तशासी संस्थाओं से ऋण तथा उसका प्रतिदान एवं उससे संबंधित समस्तकार्य  
राज्य कर्मचारियों को भवन निर्माण /भवन मरम्मत/विस्तार/मोटर वाहन तथा अन्य  
7 वाहन/सायकिल क्रय तथा व्यक्तिगत कम्प्यूटर क्रय हेतु अग्रिम की व्यवस्था एवं आवंटन तथा  
निति आवंटन तथा नीति कार्य निर्धारण संबंधी कार्य  
8 व्यक्तिगत अग्रिमों पर व्याज दरों का निर्धारण।

### 10-वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4

1 राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले ऋणों की ब्याज दर निर्धारण करना  
2 सभी निगमों के पक्ष में राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूतियों का दिया जाना ।  
3 ऋण अनुमान से संबंधित अनुपूरक अनुमान एवं बजट व्यवस्था  
4 ऋण पक्ष से संबंधित भारत के नियंत्रक महालेखाकार लोक लेखा से संबंधित आडिट आपात्ति।  
5 शासकीय प्रत्याभूति पर गारण्टी शुल्क ।  
6 बाजार ऋण से संबंधित बजट व्यवस्था/वित्तीय स्वीकृत जारी करना  
7 स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के मद में बजट व्यवस्था /वित्तीय स्वीकृति जारी करना।  
8 विधान सभा/विधान परिषद तथा लोक सभा प्रश्नों से संबंधित कार्य।

### 10-वित्त (आय-नियंत्रण) अनुभाग-1

निम्नांकित अनुदानों तथा विभागों के व्यय-नियंत्रण से सम्बद्ध सम्पूर्ण कार्य (जिसमें आय व्ययक

- 10 अनुमान अनुपूरक मांग नयी मर्दे )राजस्व तथा पूजीगत व्यय सम्मिलित करते हुए) व्ययाधिक्य एवं  
बचत की समीक्षा पुनर्विनियोजन तथा वित्तीय स्वीकृतियों सम्मिलित है। अनुदान संख्या विभाग  
11 रेशम विकास तथा उधान एवं खाद्य प्रसंस्करण  
12 कृषि विभाग  
क्षेत्रीय विकास विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग )

### 10-वित्त (आय-नियंत्रण) अनुभाग-2

- निम्नांकित अनुदानों तथा विभागों के व्यय-नियंत्रण के सम्बद्ध सम्पूर्ण कार्य (जिसमें आय व्ययक  
अनुमान अनुपूरक मांग नयी मर्दे )राजस्व तथा पूजीगत व्यय सम्मिलित करते हुए) व्ययाधिक्य एवं  
बचत की समीक्षा पुनर्विनियोजन तथा वित्तीय स्वीकृतियों सम्मिलित है। अनुदान संख्या विभाग  
13 ग्राम विकास विभाग , लघु सिचाई विभाग, भूगर्भ विभाग , ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग  
14 पंचायती राज विभाग  
15 पशुधन विभाग  
16 दुग्धशाला विकास विभाग  
17 मत्स्य उत्पादन विभाग

### 10-वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3

- 1 निम्नलिखित अनुदानों के आय-व्ययकों एवं योजनाओं का परिनिरीक्षण एवं व्यय-नियंत्रण संबंधी  
कार्य (बजट अनुमानों के निर्धारण को सम्मिलित करते हुए )  
अनुदान संख्या विभाग  
31 चिकित्सा विभाग (शिक्षण एवं प्रशिक्षण)  
32 चिकित्सा विभाग(एलोपैथिक  
33 चिकित्सा विभाग(आयुर्वेद एवं यूनानी)  
34 चिकित्सा विभाग(होम्योपैथी )  
35 चिकित्सा विभाग(परिवार कल्याण ) (परफारमेन्स वजट सहित )  
36 चिकित्सा विभाग(सार्वजनिक स्वास्थ्य)  
49 महिला एवं बाल कल्याण  
79 समाज कल्याण (विकलांग एवं पिछड वर्ग )  
80 समाज कल्याण(अनुसूचित जाति कल्याण )  
81 समाज कल्याण(अनुसूचित जनजाति कल्याण)  
87 सैनिक कल्याण विभाग  
2 भारत जनसंख्या परियोजना (पूजीगत परिव्यय सहित)  
3 स्वास्थ्य मंत्री जी का विवेकानुदान ।  
4 सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण-चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों जन  
जातियों एवं अन्य पिछडी जातियों के कल्याण योजनायें।  
5 माघ, अर्द्धकुम्भ एवं कुम्भ आदि मेलाओं में सार्वजनिक स्वास्थ्य की व्यवस्था।

### 10-वित्त (व्यय -नियंत्रण) अनुभाग-4

- 4 निम्नलिखित अनुदानों के आय-व्ययकों का परिनिरीक्षण एवं व्यय-नियंत्रण संबंधी कार्य (बजट  
अनुमानों के निर्धारण को सम्मिलित करते हुए ) अनुदान सं० विभाग

- 63,65 वित्ती विभाग  
 84 सामान्य प्रशासन विभाग  
 85 सार्वजनिक उद्यम विभाग  
 88 संस्थागत वित्त विभाग एवं वाहय सहायतित बैंकिग  
 2 नाबार्ड से कर्ज प्राप्ति तथा भुगतान ।  
 3 उत्तरांचल से संबंधित समस्त कार्य ।

#### 10-वित्त (व्यय -नियंत्रण) अनुभाग-5

निम्नलिखित अनुदानों के आय व्ययकों का परिनिरीक्षण एवं व्यय-नियंत्रण संबंधी कार्य (बजट अनुमानों के निर्धारण को सम्मिलित करते हुए)

- अनुदान सं० विभाग  
 19,20 कार्मिक विभाग  
 22 खेलकुद विभाग  
 40 नियोजन विभाग  
 50,51,52 राजस्व विभाग  
 67 विधान परिषद  
 68 विधान सभा  
 78 सचिवालय प्रशासन

#### 10-वित्त (व्यय -नियंत्रण) अनुभाग-6

औद्योगिक विकास श्रम कल्याण एवं सेवयोजन कार्यालय वस्त्रोद्योग तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग से संबंधित निम्नलिखित प्रकरण तथा उक्त विभागों का व्यय नियंत्रण संबंधी सभी कार्य

- अनुदान सं० विभाग  
 3 लघु उद्योग  
 4 खानें एवं खनिकर्म  
 5 खादी एवं ग्रामोद्योग  
 6 वस्त्रोद्योग  
 7 भारी उद्योग प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रानिकस  
 8 राजकीय मुद्रणालय  
 23 गन्ना विकास  
 24 चीनी उद्योग  
 76 श्रम कल्याण  
 77 श्रम सेवायोजन एवं प्रशिक्षण

#### 10-वित्त (व्यय -नियंत्रण) अनुभाग-7

निम्नलिखित अनुदानों के आय व्ययकों एवं योजनाओं का परिनिरीक्षण एवं व्यय-नियंत्रण संबंधी कार्य (बजट अनुमानों के निर्धारण को सम्मिलित करते हुए)

- अनुदान विभाग

सं०	
21	खाद्य तथा रसद विभाग
38	नागरिक उडडयन विभाग भाषा विभाग
44	पर्यटन विभाग
45	पर्यावरण विभाग
60	वन विभाग
70	विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग
70	अतिरिक्त उर्जा स्रोत विभाग
86	सूचना विभाग
92	संस्कृति विभाग

### 10-वित्त (व्यय -नियंत्रण) अनुभाग-8

1	निम्नलिखित अनुदानों के आय व्ययों एवं योजनाओं का परिनिरीक्षण एवं व्यय नियंत्रण संबंधी कार्य (बजट अनुमानों के निर्धारण को सम्मिलित करते हुए
अनुदान सं०	विभाग
02	आवास विभाग
37	नगर विकास विभाग
54	लोक निर्माण विभाग(अधिष्ठान)
55	लोक निर्माण विभाग(अनावासीय भवन)
56	लोक निर्माण विभाग(कार्यात्मक भवन)
57	लोक निर्माण विभाग(संचार साधन)
59	लोक निर्माण विभाग(राज्य सम्पत्ती निदेशालय)
93	सिंचाई विभाग(अधिष्ठान )
94	सिंचाई विभाग(निर्माण कार्य)
2	आय व्ययक में प्राविधानित समस्त धनराशियों को बजट मैनुअल तथा समय समय पर वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार अवमुक्त करना।
3	पी०एल०ए० में रखी गयी धनराशियों को अवमुक्त करना। पदों का सृजन वेतनमानों का उच्चीकरण /पुनरीक्षित प्रशासनिक ढांचे में कोई ऐसा संशोधन एवं परिवर्तन जिसमें वित्तीय उपाशय निहित हो, राज्य आकस्मिकता निधि लोक निर्माण सिंचाई एवं राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा मंत्रि परिषद हेतु बनाये गयी टिप्पणी पर सहमति देना पुनर्विनियोजन एवं अन्य नीतिगत वित्तीय प्रकरणों पर इस अनुभाग के माध्यम से प्रमुख सचिव वित्ती का अनुमोदन प्राप्त करना।
4	सम्पूर्ण बजट प्राविधान के समक्ष प्रतिमाह औसत व्यय की सीमा निर्धारण मासिक कार्य प्रगति व्यय नियंत्रण कार्यस्थल पर प्राविधानित राशि की उपलब्धता सुनिश्चित कराना ।
5	बजट अनुमान /अनुपूरक मांगे रा०आ०निधि से अग्रिम व्ययाधिक्य धनराशियों का समर्पण आदि ग्रहण करना निर्धारित प्रपत्र पर संबंधित अनुभागों से बजट अनुमान प्राप्त कर विधायिका को उपलब्ध कराना ।
6	

7 वित्त विभाग द्वारा लिये गये नीतिगत निर्णयों का क्रियान्वयन एवं किसी प्रकार की वित्तीय  
अनियमितता को इस अनुभाग के माध्यम से प्रमुख सचिव सचिव वित्त के संज्ञान में लाना।  
8 सिंचाई लोक निर्माण राज्य सम्पत्ति नगर विकास एवं आवास विभाग के कार्मिकों के  
अधिष्ठान एवं चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति प्रकरणों का निस्तारण ।  
9 अनुमानित व्यय के सापेक्ष वास्तविक आकड़ों का संकलन ।  
10 सम्प्रेक्षा प्रस्तरों का समय से निस्तारण ।  
11 आहरण वितरण अधिकारी एवं बजट नियंत्रक अधिकारी स्तर से कोषागार एवं महालेखाकार  
कार्यालयों से शत प्रतिशत लेखों का मिलान सुनिश्चित करना ।  
12 लोक लेखा से संबंधित सूचानायें संकलित करना समुचित स्तरों को प्रेषण किये जाने हेतु प्रभावी  
कर्यावाही करना।  
विभिन्न वित्तीय नियम संग्रहो (उदाहरणार्थ उत्तर प्रदेश आय-व्ययक नियम संग्रह वित्तीय  
13 हस्तपुस्तिका के क्रमश खण्ड एक दो तीन पाँच छ एवं सात एकाउण्ट कोड आदि में निहित  
प्राविधानों प्रपत्रों समय सारिणी आदि का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराना  
प्रतिमाह के 25 तारीख तक ठीक पूर्व के माह का वास्तविक व्यय विधायिक द्वारा पारित अनुदान  
14 के अधीन लेखा-शीर्षक के विभिन्न स्तरों पर बजट नियंत्रक अधिकारी द्वारा बजट मैनुअल में  
निर्धारित प्रारूप पर महालेखाकार को (बी0एम0-12) तथा वित्त विभाग को बी0एम0-13 पर  
सूचना प्रेषित किया जाना सुनिश्चित कराना ।  
15 सिंचाई विभाग लोक निर्माण विभाग की नाबार्ड योजनाओं को वित्त पोषण हेतु नाबार्ड को भेजा  
जाना तथा दावों की प्रतिपूर्ति आदि की समन्वयात्मक कार्यवाही सुनिश्चित कराना।

#### 10-वित्त (व्यय -नियंत्रण) अनुभाग-9

1 अनुदान संख्या-1 आबकारी विभाग  
2 अनुदान संख्या-43 परिवहन विभाग  
3 अनुदान संख्या-46 प्रशासनिक सुधार विभाग  
4 अनुदान संख्या-53 राष्ट्रीय एकीकरण विभाग  
5 अनुदान संख्या-62 वित्त विभाग  
6 अनुदान संख्या-89 व्यापार कर विभाग  
7 अनुदान संख्या-90 मनोरंजन कर विभाग  
8 अनुदान संख्या-91 स्टाम्प एवं राजिस्ट्रेशन विभाग । से संबंधित प्रकरणों में  
1 छुट दिये जाने पर वित्त विभाग का अभिमत दिया जाना ।  
2 कोर्ट केसेज मे वित्त विभाग की सहमति।  
3 मा0 मंत्रि-परिषद की टिप्पणियों पर वित्त विभाग का अभिमत दिया जाना।  
4 पदों का सृजन/पदों का उच्चीकरण पर सहमति प्रदान करना।  
5 अनुदान से संबंधित आय-व्ययक व्यवस्था एवं व्यय-नियंत्रण से संबंधित कार्य।  
6 आय-व्ययक के सापेक्ष स्वीकृतियां निर्गत करने हेतु सहमति प्रदान करना ।  
7 राज्य आकस्मिकता निधि से धनराशि की व्यवस्था एवं उसकी प्रतिपूर्ति करवाना ।  
8 प्रथम अनुपूरक /द्वितीय अनुपूरक के मांग के संबंध में धनराशि की व्यवस्था कराये जाने से  
संबंधित कार्य।  
9 अनुदान से संबंधित बैठकें।



- 10 सामूहिक प्रकृति के कार्य जिनका अनुदानवार बंटवारा नहीं हो सकता हो।  
 11 वित्त (व्यय-नियंत्रण ) अनुभाग -9 के समस्त अनुदानो से संबंधित आडिट तथा लोक लेखा  
 12 समिति के प्रस्तरों से संबंधित कार्य/बैठकें।  
 13 मा० मुख्य मंत्री जी घोषण महत्वपूर्ण संदर्भ।  
 विधान परिषद/विधान सभा प्रश्न।

### 10-वित्त (व्यय -नियंत्रण) अनुभाग-10

- 1 अनुदान संख्या-9-उर्जा विभाग के व्यय नियंत्रण से सम्बद्ध सम्पूर्ण कार्य (जिसमें आय-व्ययक  
 अनुमान ) अनुपूरक माँग व्यय की नयी मर्दे व्ययधिक्य एवं बचतों की समीक्षा, पुनर्विनियोजन  
 तथा वित्तीय स्वीकृतियों सम्मिलित है।  
 2 विद्युत संबंधी मामले-उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम विद्युत उत्पादन निगम उत्तर प्रदेश  
 जल विद्युत निगम आदि के विविध मामले।  
 3 वित्त विभाग से संबंधित संगठन तथा कार्यविधि  
 4 वित्त विभाग से संबंधित कार्मिक राष्ट्रीय एकीकरण सेवा नियमावली आश्वासन विधान परिषद  
 प्रश्नों सचिव समिति की बैठक आदि से संबंधित समन्वय कार्य।  
 5 वित्त विभाग से संबंधित स्टाफ मीटिंग का आयोजन तथा निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित कराया  
 जाना।  
 6 वित्त विभाग में तैनात अधिकारियों के मध्य कार्य का आवंटन तथा सार्वजनिक उपक्रमों /नियमों  
 /समितियों में वित्त विभाग के अधिकारियों का नामांकन।

### 10-वित्त (व्यय -नियंत्रण) अनुभाग-11

निम्नलिखित अनुदानों के आय-व्ययकों का परिनिरीक्षण एवं व्यय-नियंत्रण संबंधी कार्य (बजट  
 अनुमानों के निर्धारण को सम्मिलित करते हुए

अनुदान  
 स०

- विभाग  
 47 प्राविधिक शिक्षा विभाग  
 48 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग  
 71 शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)  
 72 शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)  
 73 शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा )  
 74 शिक्षा विभाग (प्रोढ शिक्षा)  
 75 शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)

### 10-वित्त (व्यय -नियंत्रण) अनुभाग-11

निम्नलिखित अनुदानों के आय-व्ययकों का परिनिरीक्षण एवं व्यय-नियंत्रण संबंधी कार्य (बजट  
 अनुमानों के निर्धारण को सम्मिलित एवं करते हुए)

- 25 कारागार विभाग  
 26 गृह (पुलिस) विभाग  
 27 नागरिक सुरक्षा विभाग  
 28 गृह राजनैतिक पेंशन वीजा तथा अभियोन विभाग

- 29 गोपन विभाग (श्री राज्यपाल सचिवालय )  
30 गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य)  
41 निर्वाचन विभाग  
42 न्याय विभाग  
82 सतर्कता विभाग

### 10-वित्त (सामान्य) अनुभाग-1

- 1 भारत तथा विदेशों में दिये जाने वाले प्रशिक्षण, प्रतिनियुक्ति वाहय सेवा तथा अध्ययन अवकाश से संबंधित समस्त प्रस्ताव  
2 प्रतिकर भत्ता मकान किराया भत्ता प्रैक्टिस बन्दी भत्ता तथा वेतन परियोजना भत्ता नगर प्रतिकर भत्ता ।  
3 सरकारी आवास गृहों के निर्माण आवटंन किराया तथा किराये की वसूली से संबंधित समस्त मामले।  
4 शुल्क मानदेय विशेष वेतन अतिरिक्त वेतन तथा स्नातकोत्तर वेतन।  
5 कार्यभार ग्रहण काल एवं बाध्य प्रतीक्षा से संबंधित मामले।  
6 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2भाग-2 से 4 का रख-रखाव ।  
7 उक्त नियम संग्रह के संबंधित नियमों में संशोधन आदि के मामले।  
8 उपरोक्त मामलों से संबंधित विधान सभा एवं विधान परिषद के प्रश्न ।  
9 विवाद के मामलों में मध्यस्थता हेतु फीस /मानदेय।

### 10-वित्त (सामान्य) अनुभाग-2

- 1 वेतन निर्धारण, वेतन वृद्धि तथा दक्षता रोक से संबंधित समस्त मामले(मूल नियम-22से 35 तक)  
2 तथा आई0ए0एस0 तथा आई0पी0एस0 सेवाओं सहित ।  
3 प्रोफार्मा प्रमोशन।  
4 मूल नियम-53,54 तथा 56  
5 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को पारिश्रमिक निर्धारण ।  
6 वेतन संरक्षण।  
7 चिकित्सा संबंधी प्रतिपूर्ति ।  
8 उपरोक्त नियमों में संशोधन।  
9 उपरोक्त मामलों से संबंधित विधान सभा तथा विधान परिषद के प्रश्न ।  
10 अवकाश से संबंधित मामले जिनमें अवकाश नियमों में संशोधन तथा उनकी व्याख्या के मामले सम्मिलित है। उनमें अध्ययन अवकाश के मामले भी सम्मिलित है।  
11 अवकाश से संबंधित जिनमें अवकाश नियमों में संशोधन तथा उनकी व्याख्या के मामले सम्मिलित है उनमें अध्ययन अवकाश के मामले भी सम्मिलित है।  
12 अर्जित अवकाश का नकदीकरण ।  
13 भविष्य निर्वाह निधि से संबंधित मामले जिनमें भविष्य निर्वाह निधि अधिकारियों पर लागू फण्ड नियमों के शिथिलीकरण आदि के मामले भी सम्मिलित है।  
यात्रा भत्ता से संबंधित मामले जिसमें यात्रा भत्ता नियमों में संशोधन तथा उसकी व्याख्या के मामले भी सम्मिलित है।

- 14 राज्य सरकार के सेवकों को अनुमन्य अवकाश यात्रा सुविधा (   
15 प्रशिक्षण अवधि में यात्रा भत्ता की स्वीकृति हवाई यात्रा आदि की स्वीकृति ।

### 10-वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

- 1 पेंशन के राशि करण के मामले राशिकरण संबंधी नियम तथा अनुमान 1   
2 सेवा पेंशन के मामले सिविल सर्विस रेग्यूलेशन्स में दिये नियमों का विवेचन तथा संशोधन ।   
3 पेंशन भागियों का पुनर्नियोजन।   
4 सेवा प्रसार ।   
5 उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस असाधारण पेंशन नियम।   
6 उत्तर प्रदेश पुलिस असाधारण पेंशन नियम।   
7 सरकारी कार्य के हित में उस गैर सरकारी व्यक्ति को असाधारण पेंशन के मामले।   
8 राजनैतिक पेंशन ।   
9 प्रतिनियुक्तियों में भेजे जाने पर पेंशन तथा असाधारण पेंशन की शर्त ।   
10 भारत तथा उससे बाहर बाहस सेवा में जाने पर उनकी पेंशन एवं असाधारण पेंशन की शर्तें ।   
11 एक्सग्रेसिया पेंशन ।   
12 बाह्य सेवा तथा प्रतिनियुक्त से संबंधित मामले ।   
13 राज्य सरकार के सिविल पेंशनर्स को राहत की स्वीकृति ।   
14 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों कम्पनियों निगमों आदि में प्रतिनियुक्त पर भेजे गये राज्य कर्मचारियों   
का स्थायी संविलयन ।   
15 पेंशन ग्रेच्युटी के विलम्ब से भुगतान पर व्याज ।   
16 पेंशनरों की चिकित्सा परिचर्या नियमावली के अधीन चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के मामले ।   
17 पेंशन निदेशालय का अधिष्ठान कार्य।   
18 पेंशन निदेशालय से संबंधित अनुदान संख्या-62 तथा 65 से संबंधित आय व्ययक का कार्य ।   
19 उपरोक्त के संबंधित आडिट रिपोर्ट एवं लोक लेखा समिति से संबंधित मामले ।   
20 पूर्व सेवाओं की सेवानैवृत्तिक लाभों हेतु गणना एवं व्यवधानों का मर्षण ।   
21 पेंशन सलाहकर परिषद ।   
22 पेंशन अदालतों के गठन संबंधी कार्य ।   
23 उक्त से संबंधित विधान सभा/परिषद के प्रश्नों से संबंधित कार्य।

### 10-वित्त (सेवायें) अनुभाग-1

- 1 उत्तर प्रदेश राज्य लाटरी निदेशालय लखनउ के समस्त कार्य ।   
2 उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय लखनउ के समस्त कार्या   
3 विभागयी बचत निदेशालय लखनउ के सभी कार्य।   
4 राष्ट्रीय बचत निदेशालय लखनउ के सभी कार्य।   
5 पंचायती राज लेखा निदेशालय लखनउ के निरीक्षण प्रतिवेदन संबंधी कार्य ।

### 10-वित्त (सेवायें) अनुभाग-2

- 1 उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा संवर्ग का अधिष्ठान संबंधी समस्त कार्य।   
2 उ0प्र0 सहायक लेखा अधिकारी सेवा संवर्ग के अधि ष्ठान संबंधी से संबंधित कार्य।   
3 उप कोषाधिकारियों के अधिष्ठान से संबंधित कार्य।

### 10-वित्त (सेवायें) अनुभाग-3

- 1 कोषागार निदेशालय जनपदीय कोषागारों विभागीय लेखा निदेशालय वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण संस्थान का बजट कार्य।
- 2 वित्तीय प्रबन्ध प्राशिक्षण एवं शोध संस्थान का समस्त कार्य
- 3 कोषागारों का कम्प्यूटराइजेशन से संबंधित कार्य।
- 4 पी0ए0सी0 पैरा से संबंधित कार्य
- 5 कोषागारों के कैश शाखा का अधिष्ठान संबंधी कार्य
- 6 कोषागारों के लेखा शाखा का अधिष्ठान संबंधी समस्त कार्य तथा कोर्ट केस का भी कार्य ।
- 7 कोषागारों/उप कोषागारों के गबन /कपटपूर्ण आहरण तथा अन्य अनियमितताओं संबंधी कार्य ।
- 8 कोषागारों/उप कोषागारों के निरीक्षक आख्या कोषागारों/उप कोषागारों का सृजन तथा पद सृजन संबंधी कार्य
- 9 कोषागार निदेशालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों का अधिष्ठान संबंधी कार्य।
- 10 स्टाम्पों का कार्य ड्राफ्ट पैरा से संबंधित समस्त कार्य।
- 11 विधान सभा/परिषद प्रश्न/ आश्वासन एवं तत्संबंधी समस्त कार्य।

### 10-वित्त (सेवायें) अनुभाग-4

- 1 शाखा के कर्मचारियों को अवकाश स्वीकृति करने तथा अवकाश रिक्ति में प्रतिस्थानी की व्यवस्था करने का कार्य ।
- 2 शाखा के कर्मचारियों के स्थानान्तरण तैनाती साखा स्तर पर प्रोन्नति तथा रिक्त पदों पर प्रतिस्थानी की व्यवस्था का कार्य
- 3 शाखा के रू0 550-1200 पुनरीक्षित वेतनमान 6500-10500 तक के अधिकारियों/कर्मचारियों को दक्षतारोक पार कराने का कार्य ।
- 4 शाखा के सचिवालय सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों को अग्रिम जी0पी0एफ0) बाइसिकिल मोटर साईकिल तथा भवन निर्माण स्वीकृत करने का कार्य तथा तत्संबंधी अन्य कार्य।
- 5 राष्ट्रीय एकीकरण विभाग द्वारा मांगे गये विवरण भेजने का कार्य।
- 6 समय-समय पर सचिवालय प्रशासन विभाग एवं वित्त (व्यय नियंत्रण ) अनुभाग 10 तथा कार्मिक विभाग द्वारा मांगी गयी सूचना देना का कार्य ।
- 7 अधिकारियों तथा कर्मचारियों को प्रशिक्षण पर भेजे जाने संबंधी कार्यवाही तथा यात्रा भत्ता नियमों में शिथिलीकरण आदि का कार्य
- 8 परिवीक्षाधीन आई0ए0एस0/पीसी0एस0 अधिकारियों का प्रशिक्षण संबंधी कार्य क्रम बनाना तथा प्रशिक्षण की समाप्ति पर अधिकारी की आख्या को वित्त सचिव की अभ्युक्ति के साथ भेजना ।
- 9 शाखा के अधिकारियों /कर्मचारियों की चरित्र पंजिकाओं में प्रविष्टिया कराना उनका रख-रखाव तथा विभागाध्यक्ष एवं अन्य अधिकारियों जिनकी प्रविष्टिय वित्त सचिव को करनी पडती है उन्हे यथास्थान भेजना ।
- 10 कर्मचारियो के नये पदों का सृजन तथा निरन्तरता के आदेश जारी करना ।
- 11 द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों तथा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का मुख्य व्यवस्थाफलक तथा अनुपूरक व्यवस्थाफलक तैयार करना ।
- 12 शाखा के अधिकारियों का स्थानांतरण एवं तैनाती तथा नये पदों के सृजन आदि से संबंधित कार्य।
- 13 शाखाओं को प्राप्त अधिकारों के अधीन शाखा के अधिकारियों /कर्मचारियों के अधिष्ठान से

संबंधित अन्य समस्त कार्य

- 14 वित्त (निर्गम) अनुभाग द्वारा वित्त सचिव शाखा के निम्नलिखित पत्र तथा परिपत्र निर्गत करना
- 1 सभी प्रकार के लोकल तथा डाक द्वारा एवं हवाई जहाज द्वारा भेजे जाने वाले पत्र ।
- 2 सभी प्रकार के पंजीकृत पत्र तथा पंजीकृत पार्सल ।
- 3 अन रजिस्टर्ड पत्र तथा पैसेन्जर ट्रेन से भेजे जाने वाले पार्सल
- 4 इन्श्योर्ड रजिस्टर्ड पत्र तथा पार्सल ।
- 5 सभी प्रकार के परिपत्र तथा गोपनीय पत्र ।
- 6 सभी प्रकार के दूतगामी पत्र ।
- 7 वित्त सचिव शाखा की समस्त पोस्टल डाक तथा स्थानीय डाक लेना तथा शाखा के संबंधित अनुभागों को वितरण करना ।

### 10-वित्त (सेवायें) अनुभाग-4(लेखा प्रकोष्ठ)

- 1 वित्त सचिव शाखा के समस्त श्रेणी -2 अधिकारियों /अनुभाग अधिकारियों तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन यात्रा भत्ता गृह निर्माण मोटर साइकिल भविष्य निर्वाह निधि एवं अन्य अग्रिमों व अन्य बिलों का बनाया जाना तथा उसका आहरण एवं वितरण
- 2 वित्त सचिव शाखा के समस्त कर्मचारियों /शोध एवं अनुभाग अधिकारियों के सामान्य भविष्य निधि की पास बुकों का रख-रखाव अग्रिमों के संबंध में जमा धनराशियों की रिपोर्ट /अन्य सामान्य भविष्य निधि संबंधी कार्य ।
- 3 वित्त सचिव शाखा के श्रेणी-1 के अधिकारियों के यात्रा बिलों की वेत करके इरला चेक अनुभाग को भेजना ।
- 4 वित्त सचिव शाखा के समस्त कर्मचारियों के पेंशन ग्रेच्युटी सामूहिक बीमा पेंशन राशिकरण सामान्य भविष्य निर्वाह निधि के अन्तिम निष्कासन आदि संबंधी कार्य।
- 5 वित्त सचिव शाखा के समस्त श्रेणी-1 के अधिकारियों के वायुयान यात्रा के लिये अग्रिमों का दिया जाना ।
- 6 वित्त सचिव शाखा के मुद्रण एवं लेखन सामग्री बिलों जो अधीक्षक एवं लेखन सामग्री उ0प्र0 से प्राप्त होते हैं का भुगतान ।
- 7 वित्त मंत्री जी के विवेकाधीन कोष से स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं वितरण कार्य।
- 8 वित्त सचिव शाखा के श्रेणी-2 अधिकारियों व अन्य वेतन भत्ता आदि संबंधी बजट कार्य।
- 9 राष्ट्रीय बचत योजनाओं के वित्त सचिव शाखा के कर्मचारियों द्वारा वेतन से कटौती कर जमा की जाने वाली धनराशियों का डाक घर में जमा करने संबंधी कार्य ।
- 10 सामूहिक बीम योजना के सभी चेकों के संबंध में कार्य जो वित्त सचिव के विभागध्यक्ष होने के नाते प्राप्त हों ।
- 11 वित्त सचिव शाखा के समस्त श्रेणी -2 के अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन निर्धारण कार्य।
- 12 उक्त प्रस्तर-12 के अधिकारियों/कर्मचारियों का वार्षिक वेतन वृद्धि की कार्यवाही करना।
- 13 आय व्ययक अनुभाग द्वारा समाचार पत्रों विज्ञापनों बजट आदि सामग्रियों के मुद्रण के बिलों का भुगतान । उ0प्र0 सरकार के विभिन्न शेयर व डिविडेन्ट ब्याज आदि की प्राप्तियों से संबंधित कार्य।
- 14 वित्त सचिव शाखा के समस्त अधिकारियों श्रेणी-2 अनुभाग अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं का रख-रखाव उनमें अवकाश के वितरण अवकाश प्रविष्टियों एवं वेतन निर्धारण

वार्षिक वेतन वृद्धि एवं अन्य प्रविष्टियां।

### 10-वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1

समस्त सरकारी विभागों (शिक्षा प्राविधिक शिक्षा, खेलकूद, अभियंत्रण, नियुक्ति, सचिवालय प्रशासन, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार, विधानमण्डल, गोपन, राज्यपाल सचिवालय, दुग्ध विकास, पंचायती राज, मत्स्य, युवा कल्याण, क्षेत्रीय विकास परियोजना समादेश, सहकारिता, कृषि उत्पादन एवं ग्राम्य विकास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सांस्कृतिक कार्य सूचना परिवहन, पर्यटन, नगर विकास, सतर्कता पर्यावरण जलागम प्रबन्ध निदेशालय को छोड़कर) से संबंधित निम्नलिखित कार्य।

- 1 (1) वेतन आयोग(1971-73) वेतन असंगतियां समिति (1975) द्वितीय वेतन आयोग(उ0प्र0)(1979-80) तथा समता समिति (1989)की संस्तुतियों का कार्यान्वयन।
- (2) वेतन आयोग(1971-73) समता समिति तथा द्वितीय वेतन आयोग की रिपोर्ट में छूटे हुये पदों के लिये पुनरीक्षित वेतनमानों का निर्धारण
- (3) वेतन समिति (199799) की संस्तुतियों का कार्यान्वयन
- (4) राज्य कर्मचारियों के पदों के वेतनमानों को उच्चकृत करने से संबंधित प्रशासकीय अनुभागों से प्राप्त प्रस्तावों का पुरीक्षण ।
- (5) नव सृजित पदों के वेतनमानों का निर्धारण।
- (6) कर्मचारियों द्वारा चुने गये वेतनमानों के विकल्प बदलने से संबंधित प्रस्ताव।
- (7) उक्त विभागों से संबंधित प्राप्त संदर्भ/कोर्ट केश/विधान सभा/विधान परिषद प्रश्न व सूचनायें।
- 2 राज्य कर्मचारियों सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा स्थानीयों के कर्मचारियों को महगाई भत्ते की स्वीकृति तथा इस विषय से संबंधित अन्य सभी कार्य।
- 3 तदर्थ बोनस की स्वीकृति तथा इस विषय से संबंधित अन्य सभी कार्य ।
- 4 अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो का अधिष्ठान तथा बजट आदि का कार्य ।

### 10-वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2

शिक्षा, शिक्षा प्राविधिक शिक्षा, खेलकूद, अभियंत्रण, नियुक्ति, सचिवालय प्रशासन, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार, विधानमण्डल, गोपन, राज्यपाल सचिवालय, दुग्ध विकास, पंचायती राज, मत्स्य, युवा कल्याण, क्षेत्रीय विकास परियोजना समादेश, सहकारिता, कृषि उत्पादन एवं ग्राम्य विकास, उद्रयान फलोपयोग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सांस्कृतिक कार्य सूचना परिवहन, पर्यटन, नगर विकास, सतर्कता पर्यावरण जलागम प्रबन्ध निदेशालय

- 1 सहायता प्राप्त प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी ।
- 2 स्थानीय निकायों के कर्मचारी।
- 3 सार्वजनिक उद्यमों/उपक्रमों के कर्मचारी
- 4 सभी श्रेणी के कर्मचारियों को सेलेक्शन ग्रेड/समयमान वेतनमान/प्रोन्नत वेतनमान ।
- 5 अभियंत्रण विभाग (लोक निर्माण/सिचाई/लघुसिचाई /विद्युत सुरक्षा निदेशालय/ग्रामीण अभियंत्रण सेवा नियुक्ति विभाग कार्मिक विभाग सचिवालय प्रशासन, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार, गोपन, राज्यपाल विधान सभा विधान परिषद अधिकारी/कर्मचारी।
- 6 वेतन समिति की संस्तुतियों पर विचार किये जाने हेतु गठित मुख्य सचिव समिति से संबंधित कार्य ।
- 7 वेतन समिति का अधिष्ठान संबंधी कार्य।
- 8

### 10-वित्त संसाधन (वित्त आयोग) अनुभाग

1 केन्द्रीय वित्त आयोग के गठन एवं आयोग को भेजे जाने वाली सूचनाओं से संबंधित समस्त कार्य  
|  
2 केन्द्रीय वित्त आयोग की संस्तुतियों का क्रियान्वयन संबंधित समस्त कार्य  
3 राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुश्रवण से संबंधित समस्त कार्य  
4 सरकारिया कमीशन/केन्द्र राज्य वित्तीय संशोधनों से संबंधित समस्त कार्य।  
5 टैक्शेशन इन्क्वायरी कमेटी से संबंधित समस्त कार्य  
6 अन्य विविध कार्य।

### 10-वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग

1 राज्य आयोजनागत तथा केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के लिए अन्तिम केन्द्रीय सहायता के  
भुगतान की स्वीकृति प्राप्त करना।  
2 राज्य आयोजनागत तथा केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता का अन्तिम  
समायोजन।  
3 राज्य आयोजनागत तथा केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं हेतु भारत सरकार से वित्तीय वर्ष में  
प्राप्त केन्द्रीय सहायता का राज्य खाते में समायोजन तथा महालेखाकार के खातों में दर्ज आंकड़ों  
से मिलान।  
4 विकास विभागों से राज्य आयोजनागत तथा केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं पर हुए व्यय के  
विभागीय आंकड़ों के मसिक विवरण प्राप्त करना तथा उनका संकलन।  
5 विकास विभागों से राज्य आयोजनागत तथा केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं पर वित्तीय वर्ष में  
हुए कुल व्यय के समाधानित आंकड़ों के विवरण प्राप्त करना।  
6 राज्य आयोजनागत तथा केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं पर हुये व्यय के समाधानित आंकड़ों  
के आधार पर व्यय का संहत (कनसालिडेंटेड) विवरण तैयार करना तथा विवरण पुस्तिका को  
मुद्रित कराके उसके आधार पर महालेखाकार द्वारा सम्परीक्षा प्रमाणक जारी कराना तथा  
महालेखाकार द्वारा समापरीक्षा आंकड़ों के आधार पर विवरण पुस्तिका को मुद्रित करना।  
7 केन्द्रीय आयोजनागत तथा आयोजनेत्तर योजनाओं के लिये अवमुक्त केन्द्रीय सहायता का  
समन्वय।  
8 मितव्ययता।  
9 कार्य पूर्ति दिग्दर्शक बजट की तैयारी हेतु प्राविधिक मार्ग दर्शन व परिनिरीक्षण।  
10 आय-व्ययक साहित्य के खण्ड-6 को तैयार करना।

### 10-वित्त संसाधन (सामान्य) अनुभाग

1 योजना आयोग से संबंधित से संबंधित कार्य (राज्य की पंचवर्षीय एवं वार्षिक योजना हेतु संसाधनों  
पूर्वानुमानों के निर्धारण का कार्य)  
2 राज्य के लिये संसाधनों का अनुमान तैयार करना।  
3 राष्ट्रीय विकास परिषद से संबंधित कार्य।  
4 अतिरिक्त संसाधन का समन्वय।  
5 कर तथा करेत्तर राजस्व के आंकड़े प्राप्त करना।  
6 आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशालय के संदर्भ में संसाधन खण्ड में तैनात अधिकारियों  
/कर्मचारियों के अधिष्ठान संबंधी कार्य।

- 7 संसाधन खण्ड की लाइब्रेरी का रख-रखाव।
- 8 वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय से संबंधित बजट का सचिवालय स्तर का कार्य
- 9 डाइरेक्ट्रेट आफ प्लानिंग एण्ड रिसोर्सेज का अधिष्ठान एवं बजट संबंधी कार्य
- 10 समय-समय पर गठित होने वाले आयोगों से संबंधित कार्य।
- 11 संसाधन खण्ड से संबंधित अन्य विविध कार्य
- 1 संसाधन एवं व्यय आयोग तथा
- 2 द्वितीय राज्य वित्त आयोग का अधिष्ठान एवं बजट संबंधी कार्य।